न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1436/2026

हलई थाना कांड सं0–85/2026
अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),109(1),74,351(2),352,3(5) भा0 न्या0 सं0
घर्मेन्द्र राय एवं एक अन्य.....आवेदकगण
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

23.06.2026 अभियुक्त/आवेदक घर्मेन्द्र राय, पे0–रामबाबू राय एवं 2. रामबाबू राय, पे0–स्व0 सुक्कन राय की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है जिसकी प्रति लोक अभियोजक, समस्तीपुर को दी गई है।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचिका रीता कुमारी के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 23.04.2026 को समय करीब 2.00 बजे रात्रि में वह एवं उसकी ननद मंशू कुमारी घर के अन्दर सोई थी तभी आवेदकगण घर में घुसकर दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। रामबाबू राय सोई अवस्था में उसके छाती, पेट, पजरा, पेरू पर कई लात मारा जिससे उसके गुप्तांग से खून बहने लगा और नीचे का कपड़ा खून से लाल हो गया। उसकी ननद बचाने गई तो उसे भी घर्मेन्द्र राय बुरी तरह से मारपीट करने लगा। रामबाबू राय बोला जान से मार दो। फिर दोनों मिलकर उसके गला में प्लास्टिक का रस्सी लगाकर जान मारने की नियत से खींचने लगा जिससे उसका दम घुटने लगा और सांस रूकने लगा। उसकी ननद चिल्लाने लगी तो उसकी सास, ससुर और लोग आए जिसे आता देखकर दोनों छोड़कर भाग गया। रस्सी खींचने से उसका गर्दन पूरी तरह जख्मी हो गया और खून भी बह रहा था जिसे आए लोग तत्काल खून रोकने हेतु कपड़ा से बांघकर सरकारी अस्पताल लाए जहां दोनों का ईलाज शुरू हुआ। घटना का कारण है कि धर्मेन्द्र राय शराब माफिया है और उसपर कई मुकदमा भी है। दिनांक 07.04.2026 को घर्मेन्द्र राय का भारी मात्रा में पुलिस द्वारा शराब पकड़ा गया जिसके लिए मुकदमा भी हुआ। दोनों का कहना है कि उसका शराब तुम दोनों पकड़वाया है और उसका दस लाख रू0 का क्षति हुआ है। इसी बात को लेकर घटना के एक दिन पहले दोनों घमकी दिया था कि दस लाख रू0 दो नहीं तो हत्या कर देंगे और अगले दिन ही पैसा नहीं दिया तो जान से मारने का सम्पूर्ण कोशिश किया।

अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभि0, समस्तीपुर को सुना।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। आवेदक धर्मेन्द्र राय का तीन आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर है तथा आवेदक रामबाबू राय का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को दुश्मनी एवं द्वेष के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। इस वाद में धारा 109(1) भा0 न्या0 सं0 का आरोप नहीं बनता है क्योंकि यह वाद साधारण मारपीट का है यदि आरोप को सही मान भी लिया जाये। इस वाद में धारा 74 भा0 न्या0 सं0 का आरोप नहीं बनता है तथा अन्य आरोप जमानतीय है।

Web Copy

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1436 / 2026

हलई थाना कांड सं0–85 / 2026

अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),109(1),74,351(2),352,3(5) भा0 न्या0 सं0

घर्मेन्द्र राय एवं एक अन्य.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

लगातार

23.06.2026 सूचिका आशा बहु है जो सरकारी अस्पताल में काम करती है एवं चिकित्सक की सहायता से पुलिस के मेल में झूठा वाद दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराया गया है जो वाद को संदिग्ध बना देता है। इस झूठा वाद के पीछे का कारण यह है कि दोनों पक्ष पड़ोसी है और जमीन की मेड़ को लेकर विवाद है, इसलिए सूचिका द्वारा दबाव बनाने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया है। दोनों पिता पुत्र हैं और यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आधी रात को वे इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे। आवेदकगण के पलायन एवं उनके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण सूचिका घर में घुसकर सूचिका एवं उसकी ननद मंशु कुमारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। रामबाबू राय सोई अवस्था में उसके छाती, पेट, पजरा, पेरू पर कई लात मारा जिससे उसके गुप्तांग से खून बहने लगा और नीचे का कपड़ा खून से लाल हो गया। उसकी ननद बचाने गई तो उसे भी घर्मेन्द्र राय बुरी तरह से मारपीट करने लगा। फिर दोनों मिलकर उसके गला में प्लास्टिक का रस्सी लगाकर जान मारने की नियत से खींचने लगा जिससे उसका दम घुटने लगा और सांस रूकने लगा। रस्सी खींचने से उसका गर्दन पूरी तरह जख्मी हो गया और खून भी बह रहा था जिसे लोग तत्काल खून रोकने हेतु कपड़ा से बांधकर सरकारी अस्पताल लाए जहां दोनों का ईलाज शुरू हुआ। उपरोक्त तथ्यों का समर्थन केस दैनिकी की कंडिका 4 में वादिनी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 8, 9, 10, 11 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में किया है जिसका समर्थन जख्मी रीता देवी के जख्म प्रतिवेदन से होता है जिसका उल्लेख केस दैनिकी की कंडिका 41 में है जिसके अनुसार जख्मी को गला में जख्म पाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति गंभीर है एवं वाद अभी अनुसंधान की अवस्था में है तथा आवेदक धर्मेन्द्र राय का तीन आपराधिक इतिहास भी है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त धर्मेन्द्र राय एवं 2. रामबाबू राय का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

प्र0 अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy